न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 47/2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. हरीराम उम्र 59 वर्ष
2. सुरेन्द्र कुमार उम्र 54 वर्ष
3. हेतराम उम्र 51 वर्ष
4.

} पिसरान श्री केसराराम कौम ब्राह्मण निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— वादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. केसराराम पुत्र श्री इमरताराम
2. राजपाल पुत्र श्री केसराराम } कौम ब्राह्मण निवासीयान गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. साहबराम पुत्र श्री केसराराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर हाल आबाद ग्राम बोदीवाला पिथा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. कौशल्या देवी (पुत्री श्री केसराराम) पत्नी श्री परमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी गांव संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. गीता देवी (पुत्री श्री केसराराम) पत्नी श्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी धानका बस्ती, गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. लिछमा देवी (पुत्री श्री केसराराम) पत्नी श्री पूर्णमल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 30, नेहरू नगर, नोहर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. सन्तोष (पुत्री श्री केसराराम) पत्नी श्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादीगण)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी–1 से 7)
पैरोकार राज (प्रति.–8)

दिनांक 05.08.2020

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 केसराराम वादीगण के पिताजी तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण के भाई तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 7 वादीगण की बहने है । चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 20/63 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 है. व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2 ता 7 की 1.518 है. कुल 2.783 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि वादीगण के पिताजी (केसराराम पुत्र ईमरताराम) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी इमरताराम पुत्र रामनारायण के द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए विभाजन नामान्तरण संख्या 8 दिनांक 20/11/1973 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी

Scanned with CamScanner

संख्या 1 को अपने नाम दर्ज कृषि भूमि अपने पिताजी इमरताराम से प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 20/63 एवं विरास्तन नामान्तरण संख्या 8 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के 5 पुत्र (हरीराम, साहबराम, सुरेन्द्र कुमार, हेतराम, राजपाल) है तथा 4 पुत्रीयां कौशल्या देवी, लिछमा देवी, गीता देवी व सन्तोष देवी है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 के की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
केसराराम पुत्र इमरताराम, हरीराम, साहबराम, सुरेन्द्र कुमार, हेतराम, राजपाल पिसरान श्री केसराराम कौम ब्राह्मण निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ब:हिस्सा बराबर बराबर	चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्यत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 20/63 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 है. व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2 ता 7 की 1.518 है. कुल 2.783 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है । उक्त कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम से दर्ज होने के कारण वादीगण को उक्त कृषि भूमि के बेचान आदि का भय बना रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि विरास्तन सम्पति है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को अपने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि घरेलू बंटवारा करके दे रखी है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भी उक्त कृषि भूमि वादीग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 ने दिनांक 20/03/2020 को श्रीमान जी न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश कर वादीगण को बंटवारा में दी गई भूमि घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं वाद पत्र पेश करने से इन्कार कर दिया है बस यही बिनाय मुखास्मत है इसलिए वादीगण ने नेकनीयती से उक्त वाद पत्र पेश किया है । वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर निम्न प्रकार से वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया :–

(क). कि प्रतिवादी संख्या 1 केसराराम पुत्र ईमरताराम के नाम दर्ज चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 20/63 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 है. व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2 ता 7 की 1.518 है. कुल 2.783 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ब:हिस्सा बराबर बराबर घोषित की जावे ।

(ख). उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ). कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे ।

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 30.06.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 1 केसराराम पुत्र ईमरताराम के नाम दर्ज चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 20/63 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 है. व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2 ता 7 की 1.518 है. कुल 2.783 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 5/6 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजपाल एवं साहबराम को दी हुई है । अतः उक्त राजीनामानुसार प्रतिवादी संख्या 1 केसराराम पुत्र ईमरताराम के नाम दर्ज चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 20/63 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 है. व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2 ता 7 की 1.518 है. कुल 2.783 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 5/6 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजपाल एवं साहबराम में से 5/6 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजपाल एवं साहबराम की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा दिनांक 16.07.2020 को जवाब वाद पत्र पेश हुआ। मुताबिक जवाब वाद पत्र उतरदातागण के पिताजी एवं भाईयो ने पारस्परिक सहमति से बंटवारा किया हुआ है तथा उक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में उतरदातागण सहमत है अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा किये गये राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो उतरदातागण को कोई आपति नहीं है। वाद पत्र की बिन्दु संख्या 5 व 6 वाद कारण से सम्बन्धित है तथा बिन्दु संख्या 7 व 8 कानूनी है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में मांगा गया अनुतोष प्रदान करवाने में उतरदातागण सहमत है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 1 केसराराम पुत्र ईमरताराम के नाम दर्ज चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 20/63 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 है. व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2 ता 7 की 1.518 है. कुल 2.783 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 5/6 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजपाल एवं साहबराम की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 7 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा खाता संख्या 20/63, वादी द्वारा अपने दादा इमरताराम के नाम विरासतन इन्तकाल जमाबंदी ग्राम 7 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा खाता संख्या 8/35 की फोटो प्रतियां पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः पक्षकारान के मध्य राजीनानमा होने से राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 केसराराम पुत्र ईमरताराम के नाम दर्ज चक 7 वयू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 20/63 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 है. व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2 ता 7 की 1.518 है. कुल 2.783 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 5/6 हिस्सा कृषि भूमि का वादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बःहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05.08.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह [illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner